खंड 13, अंक 1

गुरुवार, 20 फरवरी, 1986
1 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 55
Date 24/9/86

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 13, पाँचवाँ सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 1, गुरवार, 20 फरवरी, 1986/1 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया	2—12
निधन सम्बन्धी उल्लेख	12—14
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	14—17

अ

अंजैया, श्री टी० (सिकन्दराबाद)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान (मधुबनी)
अख्तर हसन, श्री (कैराना)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)
अठवाल, श्री चरनजीत सिंह (रोपड़)
अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)
अताउर्रहमान, श्री (बारापेट)
अतीतन, श्री आर० धनुषकोड़ी (तिरुचेन्दूर)
अदियोडी, डा० के० जी० (कालीकट)
अण्णानम्बी, श्री आर० (पोल्लाची)
अप्पालानरसिंहम, श्री पी० (अनकापल्ली)
अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)
अब्दुल हमीद, श्री (धुबरी)
अब्दुल्ला, बेगम अकबर जहां (अनन्तनाग)
अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)
अर्जुनसिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)
अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलौर दक्षिण)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अलखाराम, श्री (सलुम्बर)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अहमद, श्रीमती आबिदा (बरेली)
अहमद, श्री सरफराज (गिरिडीह)
अहमद, श्री सैफुद्दीन (मंगलदाई)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्दसिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार (पोरबन्दर)
ओडेयार, श्री चनैया (दावनगोर)
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

ककाडे, श्री सांभाजीराव (बारामती)
कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)
कण्णन, श्री पी० (तिरुचेंगोडे)
काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)
कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)
कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य मणिपुर)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दुमका)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुजूर, श्री मारिस (सुन्दरगढ़)
कुन्जम्बु, श्री के० (अडूर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (इदुक्की)
कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुरेशी, श्री अजीज (सतना)
कुलनदईवेलू, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कोनयक, श्री चिंगवांग (नागालैंड)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चण्डीगढ़)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)
कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)
खां, श्री असलम शेर (बेतूल)
खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रुखाबाद)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली (एटा)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री रहीम (फरीदाबाद)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)
गढवी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री सी० डी० (माण्डवी)
गिल, श्री मेवा सिंह (लुधियाना)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)
गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)
गावीत, श्री मानिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गुरद्दी, श्री एस० एम० (बीजापुर)
गुहा, डा० फूलरेणु (कन्टई)

गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोस्वामी, श्री दिनेश (गौहाटी)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गौंडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

घ

घोलप, श्री एस० जी० (थाणे)
घोष, श्री तरुण कान्ति (बारासट)
घोष, श्री विमल कान्ति (सीरमपुर)
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्री पेरम्बुदूर)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बांका)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल (दुर्ग)
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री एस० बी० (नांदेड़)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री पराग (जोरहाट)
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई के० (आनन्द)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)
चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान (माल्दा)
चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)
चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री संभर ब्रहम (कोकराझर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

ज

जगतरक्षकन, डा० एस० (चेंगलपट्टू)
जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहनलालगंज)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री कादम्बुर (तिरुनेलवेली)
जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)
जय मोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, डा० बलराम (सीकर)
जाटव, श्री कमोदीलाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जितेन्द्र सिंह, श्री (महाराजगंज)
जीवारथिनम, श्री आर० (अराकोनम)
जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)
जेना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)
जैन, श्री डाल चन्द्र (दमोह)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन०पी० (चित्तूर)
झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा (कच्छ)
ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डामर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)
डेनिस, श्री एन० (नागर कोइल)

डोगरा, श्री गिरधारी लाल (ऊधमपुर)
डोणगांवकर, श्री साहब राव पाटिल (औरंगाबाद)
डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

ढ

ढिल्लन, डा० जी० एस० (फिरोजपुर)

त

तंगरामू, श्री एस० (पेरम्बलूर)
तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)
तम्बि दुराई, श्री एम० (धर्मपुरी)
तांती, श्री भद्रेश्वर (कलियाबोर)
तारादेवी, कुमारी डी० के० (चिकमगलूर)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)
तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)
तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
तुर, सरदार त्रिलोचन सिंह (तरनतारन)
तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी (अलीगढ़)
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर (खलीलाबाद)
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा (चन्दौली)

थ

थामस, प्रो० के०वी० (एरनाकुलम)
थामस, श्री थम्पन (मवेलिकरा)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोटा, श्री गोपाल कृष्ण (काकीनाडा)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दत्त, श्री अमल (डायमन्ड हार्बर)
दर्दी, श्री तेजा सिंह (भटिंडा)
दलवाई, श्री हुसैन (रत्नगिरि)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, चौधरी (सिरसा)

दाभी, श्री अजीत सिंह (केरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री बिपिनपाल (तेजपुर)
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दास, श्री सुदर्शन (करीमगंज)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर-मध्य)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)
दुबे, श्री भीष्म देव (बांदा)
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०(पार्वतीपुरम)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देव, श्री शरत (केन्द्रपाड़ा)
देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देवी, प्रो० चन्द्र भानु (बलिया)
देसाई, श्री बी०बी (रायचूर)

ध

धारोवाल, श्री शांति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिण्डिगुल)
नटवर सिंह, श्री के० (भरतपुर)
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करौलबाग)
नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)
नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नायक, श्री शांताराम (पणजी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र (नई दिल्ली)

पकीर मोहम्मद, श्री ई०एस०एम० (मयूरम)
पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहण्डी)
पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ौच)
पटेल, श्री यू० एच० (बलसार)
पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)
पटेल, श्री जी० आई० (गांधीनगर)
पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री सी०डी० (सूरत)
पडयाच्ची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिंडीवनम)
पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पलाकोंड्रायुडू, श्री एस० (राजमपेट)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पंवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
पांडेय, श्री काली प्रसाद (गोपालगंज)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)
पांडे, श्री मनोज (बेतिया)
पांडे, श्री राज मंगल (देवरिया)
पाइलट, श्री राजेश (दौसा)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री डी०बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री प्रकाश वी० (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)
पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)
पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)
पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाणिग्रही, श्री बल्लभ (देवगढ़)
पारधी, श्री केशवराव (भण्डारा)
पासवान, श्री राम भगत (रोसड़ा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)
पेंचालैया, श्री पी० (नेल्लोर)
पेरुमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश चन्द्र, श्री (बाढ़)
प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)
प्रधान, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंसी लाल, श्री (भिवानी)
बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)
बच्चन, श्री अमिताभ (इलाहाबाद)
बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)
बानतवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (वन्डावासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)
बसवराजू, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बागुन सुम्बरुई, श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बाल गौड़, श्री टी० (निजामाबाद)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बिश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, श्री राव (महेन्द्रगढ़)
बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)
बुदानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)
बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)
बूटा सिंह, सरदार (जालौर)

बेरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)
बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)
बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ब्रहमदत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भण्डारी, श्रीमती डी० के० (सिक्किम)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (आरा)
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम्)
भट्टाचार्य; श्रीमती इन्दुमती (हुगली)
भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)
भूमिज, श्री हरेन (डिब्रूगढ़)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपा सिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री आर० एम० (धुले)
भोये, श्री एस० एस० (मालेगांव)
भोसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

म

मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मकवाना, श्री नरसिंह (धंधुका)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)
महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)
महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)

मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
माने, श्री आर०एस० (इचलकरांजी)
माने, श्री मुरलीधर (नासिक)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रींवा)
मालवीय, श्री बापूलाल (शाजापुर)
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)
मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)
मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)
मिश्र, श्री जी० एस० (सिवनी)
मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगिर)
मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)
मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)
मिश्र, श्री श्रीपति (मछलीशहर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिश्र, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)
मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)
मीरा कुमार, श्रीमती (बिजनौर)
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुरमू, श्री सिद्धलाल (मयूरभंज)
मुरुगैई, श्री ए० आर० (करूर)
मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर (कनकपुरा)
मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)
मोरे, प्रो० रामकृष्ण (खेड़)
मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)
यादव, श्री आर० एन० (परभणी)
यादव, श्री कैलाश (बलेसर)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री महाबीर प्रसाद (माधीपुरा)
यादव, श्री राम सिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)
यादव, श्री सुभाष (खारगोन)
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)
रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)
रघुराज सिंह, चौधरी (इटावा)
रत्नम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)
रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)
रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)
रमैया, श्री बी० बी० (ऐलुरू)
रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)
राजू, श्री आनन्द गजपति (बोबिली)
राजू, श्री विजय कुमार (नरसापुर)
राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बसव (बेल्लारी)
राठवा, श्री अमर सिंह (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)
राम, श्री रामस्वरूप (गया)
राम, अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
राम समुझावन, श्री (सैदपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)
राम बहादुर सिंह, श्री (छपरा)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)
रामुलू, श्री एच० जी० (कोप्पल)
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (संगरूर)

राय, श्री आई० रामा (कासरगौड़)
राय, श्री राज कुमार (घोसी)
राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, ए० जे० वी० बी० महेश्वर (अमलापुरम)
राव, श्री के० एस० (मछलीपतनम)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, डा० जी० विजयरामा (सिद्दिपेट)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)
राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)
रावणी, श्री नवीन (अमरेली)
रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)
रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेडडी, श्री ई० अय्यप्पू (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)
रेड्डी, श्री डी० एन० (कडप्पा)
रेड्डी, श्री बैजावाड़ा पपी (ओंगोल)
रेड्डी, श्री मानिक (मेडक)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री एम० सुब्बा (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नालगोंडा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एस० जयपाल (महबूबनगर)

ल

लच्छी राम, चौधरी (जालौन)
लाल डहोमा, श्री (मिजोरम)
लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)
लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचल पूर्व)

व

वन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई (पाटन)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज (मैसूर)
वालिया, श्री चरनजीत सिंह (पटियाला)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीरसेन, श्री (खुर्जा)
वेंकटेश, डा० वी० (कोलार)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वैराले, श्री मधुसूदन (अकोला)
व्यास, श्री गिरधारीलाल (भीलवाड़ा)

श

शकरगौडा, श्री के० वी० (मांडया)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शमिन्दरसिंह, श्री (फरीदकोट)
शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (वालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूपचन्द (बम्बई उत्तर)
शाहबुद्दीन, सैयद (किशनगंज)
शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)
शिगडा, श्री डी०बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूँ)
शैलेश, डा० बी० एल० (चैल)
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
संतोष कुमार सिंह, श्री (आजमगढ़)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सकरगयभ, श्री कालीचरण (खंडवा)
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
सान्याल, श्री मानिक (जलपाईगुड़ी)
सम्बु, श्री सी० (बापताला)
सलाउद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सामंत, डा० दत्ता (बम्बई दक्षिण मध्य)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहु, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजाबूर)
सिंह, श्री अतीशचन्द्र (बरहामपुर)
सिंह, श्री एन० टोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, श्री कमला प्रसाद (जौनपुर)
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप (महाराजगंज)
सिंह, श्री के० एन० (हापुड़)
सिंह, श्री चन्द्रप्रताप नारायण (पदरौना)
सिंह, श्री डी० जी० (शाहाबाद)
सिंह, श्री भानु प्रताप (पीलीभीत)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)
सिब्दनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सुन्दरलाल, श्री (हरिद्वार)
सुन्दर सिंह, चौधरी (फिल्लौर)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला (उदययुर)
सुखबन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुनील दत्त, श्री (बम्बई उत्तर पश्चिम)

सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुकोट्टई)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुब्बुरमन, श्री ए० जी० (मुदुरै)
सुमन, श्री रामप्यारे (अकबरपुर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)
सेट, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)
सेन, श्री भोला नाथ (कलकत्ता दक्षिण)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेल्वेन्द्रन, श्री पी० (पेरियाकुलम)
सैकिया, श्री गाकुल (लखीमपुर)
सैकिया, श्री एम० आर० (नवगांव)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोढी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आंवला)
सोलकी, श्री नटवर सिंह (कापड़वंज)
स्वामी, श्री कटूरी नारायण (नरसारावपेट)
स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालन्धर)
स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ष

षण्मुख, श्री ए० सी० (वेल्लोर)
षण्मुख, श्री पी० (पांडिचेरी)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)
हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
हाल्दर, प्रो० एम० आर० (मथुरापुर)
हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

अध्यक्ष

डा० बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री एम० तम्बि दुराई

सभापति तालिका

श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री जैनुल बशर
श्री शरद दिघे
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री सोमनाथ रथ
श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम

महासचिव

डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा रक्षा; पर्यावरण और वन; कार्मिक और प्रशिक्षण और लोक शिकायत तथा पेंशन; योजना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा; इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास; अन्तरिक्ष मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी जो किसी मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं :	श्री राजीव गांधी
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
गृह मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
वित्त मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी
शहरी विकास मंत्री	श्री अब्दुल गफूर
विधि और न्याय मंत्री	श्री ए० के० सेन
विदेश मंत्री	श्री बी० आर० भगत
जल संसाधन मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
परिवहन मंत्री	श्री बंसी लाल
कृषि मंत्री	सरदार बूटा सिंह
संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
इस्पात और खान मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
उद्योग मंत्री	श्री नारायण दत्त तिवारी
वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री पी० शिव शंकर
ऊर्जा मंत्री	श्री बसंत साठे

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री चन्द्र शेखर सिंह
वस्त्र मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री खुर्शीद आलम खां
श्रम मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री पी० ए० संगमा
कल्याण मंत्रालय की (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी
संचार मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री वी० एन० गाडगिल

राज्य मंत्री

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० के० पंजा
विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्री आरिफ मोहम्मद खां
आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री अरुण नेहरू
रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री अरुण सिंह
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (लोक सभा)	श्री गुलाम नबी आजाद
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाइटलर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जनार्दन पुजारी
उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री	श्री के० नटवर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० नारायणन
रेल विभाग में राज्य मंत्री	श्री माधव राव सिंधिया
युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री	श्रीमती मारग्रेट अल्वा

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एम० अरुणाचलम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० चिदम्बरम
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह
जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री	श्री राजेश पाइलट
खान विभाग में राज्य मंत्री	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (राज्य सभा)	श्री सीताराम केसरी
रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री	श्री सुखराम
शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र मकवाना
पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

उप-मंत्री

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार

लोक सभा

गुरुवार, 20 फरवरी, 1986/1 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 1.00 म० प० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सुदर्शन दास (करीमगंज)
श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर)
श्री वीरेन सिंह ऐंगती (स्वायत्तशासी जिला)
श्री अब्दुल हमीद (धुबरी)
श्री समर ब्रह्म चौधरी (कोकराझर)
श्री अताउर्रहमान (बारापेट)
श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी)
श्री सैफुद्दीन अहमद (मंगलदाई)
श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर)
श्री एम० आर० सैकिया (नवगांव)
श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर)
श्री पराग चालिहा (जोरहाट)
श्री हरेन भूमिज (डिब्रूगढ़)
श्री गाकुल सैकिया (लखीमपुर)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर ली है। अब मुझे नये सदस्यों को और सभा को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि पिछले छह वर्षों में पहली बार अब हमारी पूरी संख्या, 544, हुई है।

1.15 म०प०

राष्ट्रपति का अभिभाषण

[अनुवाद]

महासचिव : मैं 20 फरवरी, 1986 को संसद की दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण, 1986 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं नये सदस्यों को बधाई देता हूं।

2. पिछले साल संसद ने अपनी कार्यवाही उद्देश्यपूर्ण ढंग से और सहयोग के वातावरण में चलाई। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनायें देता हूं।

3. जुलाई 1985 में सरकार ने पंजाब में जटिल और कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि एकता और अखण्डता की ताकतों को मजबूत किया जाए। सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर नीति निर्धारित की गई। आतंकवाद पर लोकतंत्रीय प्रणाली की जीत हुई। पंजाब में शांतिपूर्ण चुनावों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि राज्य में बहुत बड़ी संख्या में लोग अमन-चैन और सामान्य स्थिति कायम करने के इच्छुक हैं।

4. जिन लोगों को जनादेश मिला है उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। उनका सबसे पहला काम यह है कि वे ऐसे लोगों को अलग-थलग कर दें जो साम्प्रदायिक सद्भावना और शांति को भंग करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इस काम में उन्हें उन सभी राजनीतिक ताकतों का समर्थन मिलेगा जो भारत की एकता और अखण्डता के लिए वचनबद्ध हैं। विघटन-कारी ताकतों के साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतें, हमारे संविधान में शामिल राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद के उन मूल्यों की, जो भारत की एकता के आधार हैं, रक्षा के लिए मिलकर एक जन-अभियान चलायें।

5. असम समझौते के बाद वहां विधान सभा और लोक सभा के चुनाव हुए। वहां एक नई सरकार ने कार्यभार सम्भाला है।

6. सरकार पंजाब और असम समझौतों को पूरी तरह लागू करने के लिए वचनबद्ध है।

7. सरकार उन सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है जिनकी देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसात्मक घटनाओं में जानें गईं या जो लोग घायल हुए या जिनकी सम्पति को नुकसान पहुँचा। सार्वजनिक जीवन में हिंसा हमारी सभ्यता की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। एक वर्ग या दूसरे वर्ग द्वारा समझी जाने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए हिंसा का बार-बार सहारा लेने से उन लोगों को गहरी तकलीफ होनी चाहिए जो लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते हैं। हालांकि, सरकार को जहां कहीं भी हिंसा हो उसे सख्ती से दबाना चाहिए लेकिन यह जरूरी है कि जो राजनीतिक दल लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते हैं, उन्हें लोगों के बीच जाकर अपने लगातार और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के जरिये हिंसा के मूल कारणों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। साम्प्रदायिक और दूसरी प्रकार की हिंसा से छोटे-मोटे लाभ हासिल करने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए।

8. साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए गम्भीर खतरा बनी हुई है। धार्मिक रूढ़िवाद और कट्टरपन से यह खतरा और बढ़ता जा रहा है। ये प्रवृत्तियां प्रतिक्रियावाद सामाजिक दृष्टिकोण की प्रतीक हैं, जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध गरीबों और शोषितों के संघर्ष को कमजोर करती हैं। धर्म-निरपेक्षता को मजबूत करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद् को दृढ़ निश्चय के साथ व्यवस्थित रूप में कार्य करना होगा।

9. मैंने अपने 17 जनवरी, 1985 के भाषण में सरकार की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की थी। मैं मुख्य बातों को सक्षेप में दोहरा रहा हूं :—

(i) एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के प्रति वचनबद्धता;

(ii) प्रशासनिक सुधार;

(iii) न्यायिक सुधार;

(iv) एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति;

(v) महिलाओं के लिए नया राष्ट्रीय कार्यक्रम;

(vi) राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने और श्रेष्ठता हासिल करने के कार्यक्रमों में युवकों को शामिल किया जाना;

(vii) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना;

(viii) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना;

(ix) एक नई कपड़ा नीति; और

(x) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा के उपायों की पूरी जांच।

10. मेरी सरकार ने पिछले साल के लिए जो कार्य निर्धारित किए थे वे बहुत हद तक पूरे कर लिए हैं।

11. दल-बदल विरोधी अधिनियम अब विधि पुस्तक में शामिल है। कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को अंशदान दिए जाने को कानूनी स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने सार्वजनिक जीवन में एक नया वातावरण कायम करने की कोशिश की है। इससे राष्ट्रीय विश्वास को शक्ति मिली है। सभी वर्ग के लोगों में सार्वजनिक मामलों में हिस्सा लेने की गहरी भावना और भारी उत्साह पाया गया जो पिछले साल की एक विशेषता रही है। इन्हीं गुणों के आधार पर हमें सार्वजनिक जीवन के स्तर को ऊँचा उठाना है।

12. भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। सभी स्तरों पर ठोस कार्मिक प्रबन्ध और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर काफी जोर दिया गया है। सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने की उचित व्यवस्था मौजूद है। इसके परिणामों का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के लागू किए जाने पर निगाह रखने के लिए एक नये मंत्रालय की स्थापना की गई है। सरकार के सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि वे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत कार्य योजनायें बनायें। इन्हीं के आधार पर उनकी प्रगति को आंका जाएगा। प्रशासनिक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रणाली

को और अच्छा बनाने पर गहराई से विचार हो रहे हैं, ताकि निर्णय जल्दी लिये जा सके और उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

13. सरकार का न्याय प्रक्रिया में लगने वाली देरी को खत्म करने का पक्का इरादा है। लोक अदालतों के तजुर्बों से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारी न्याय प्रणाली की बुराई को दूर करने के लिये एक नये दृष्टिकोण की जरूरत है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना से अदालतों का भार हल्का होगा। इससे वे बकाया मामलों के निबटान में अधिम समय दे सकेंगे। हालांकि ये उपाय स्वागत योग्य हैं, फिर भी ये न्याय को कम खर्चीला बनाने और न्याय को आसानी से गरीबों की पहुँच तक लाने की बुनियादी समस्या के समाधान के लिये काफी नहीं हैं। इसके लिये आमूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। सरकार ने विधि आयोग को ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

14. सरकार ने अगस्त 1985 में 'शिक्षा की चुनौती' नाम से एक दस्तावेज प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य था विभिन्न विषयों और विकल्पों पर व्यापक और गहन राष्ट्रीय बहस के लिये लोगों को प्रेरणा देना। सरकार को इस बात पर संतोष है कि इस बहस में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं और कई उपयोगी विचार और उपाय सामने आये हैं। नई शिक्षा नीति का मसौदा जल्दी ही संसद में पेश किया जायेगा।

15. सरकार ने महिलाओं की उन्नति के लिए एक नये विभाग की स्थापना की है। महिलाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा—एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र के विकास में महिलाओं को अपनी भूमिका पूरी तरह निभाने के योग्य बनाना।

16. युवा विकास के कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई है, परन्तु अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है।

17. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना हो चुकी है और इसने वन लगाने के महान कार्य को शुरू कर दिया है। हाल ही की एक बैठक में सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय भूमि प्रयोग नीति और बंजर भूमि विकास की नीतियों के प्रति एक सम्मिलित रवैया अपनाने को अपना समर्थन दिया है।

18. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से गंगा के प्रदूषण को रोकने का काम पूरे जोर-शोर से शुरू हो गया है।

19. जून 1985 में एक नई कपड़ा नीति की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सस्ते कपड़े का उत्पादन करना है। इस नीति का उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा करना भी है। यह विचार है कि सातवीं योजना में 70 करोड़ वर्ग मीटर कंट्रोल तथा जनता कपड़े के सम्पूर्ण उत्पादन को हथकरघा क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। दि हैण्डलूम्स (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फार प्रोडक्शन) ऐक्ट— 1985 को पास कर दिया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को जो करोड़ों लोगों की रोजी का जरिया है, मजबूत

बनाया जा सके। इस नीति को पूरी तरह और कुशलता के साथ लागू करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

20. सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा और खतरनाक पदार्थों के प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों की जांच पूरी कर ली है और संसद के इस अधिवेशन में इस पर विधेयक लाया जाएगा।

21. सांस्कृतिक समरसता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करेगी जिनमें से अभी तक तीन स्थापित किए जा चुके हैं। ये केन्द्र प्रादेशिक और भाषाई सीमाओं से ऊपर उठकर हमारी विविध समृद्ध क्षेत्रीय सांस्कृतिक परम्पराओं और उनमें निहित एकता को प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी संस्कृति के श्रेष्ठ गुणों को जनसाधारण तक पहुँचायेंगे और उनके जीवन और संघर्षों के साथ उनका समन्वय स्थापित करेंगे। उपनिवेशिक काल में जनता और भारतीय संस्कृति को जीवित परम्पराओं के बीच खड़ी की गई दीवार को तोड़ना होगा। साथ ही इन केन्द्रों का उद्देश्य लोककला को नई शक्ति प्रदान करना होगा, जिसने हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाया है।

22. अब मैं अपनी अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा।

23. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना की बुनियादी नीति निर्धनता दूर करने और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा आधुनिक अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने के दीर्घकालीन ध्येय को सामने रखकर तैयार की गई है। इसमें निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल क्षेत्रों में काफी मात्रा में पूँजी लगाई जाए।

24. योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पक्के इरादे से और पूरी तरह वचनबद्ध होकर पूँजी निवेश के लिए काफी मात्रा में साधन जुटायें। एक मजबूत, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिये अथक परिश्रम, त्याग और मुश्किलें बर्दाश्त करने की जरूरत है। विकास के मार्ग में मुद्रास्फीति रुकावट न बने, इसके लिए बचत के काफी साधन जुटाने होंगे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बचतों का इस्तेमाल कारगर ढंग से किया जाए। हमें चुनौती का सामना करना होगा। विकास के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।

25. निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू करने के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड़ पचास लाख परिवारों को सहायता पहुँचाना था। वास्तव में, इससे एक करोड़ छियासठ लाख परिवारों को फायदा हुआ, जिनमें चौंसठ लाख परिवार अनुसूचित और अनुसूचित जन-जातियों के थे। इन कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जा रहा है और अनाज के अतिरिक्त भण्डार का उपयोग वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किया जाएगा, जिससे 10 लाख अतिरिक्त परिवारों

को लाभ होगा । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों को आवास की सुविधायें देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक सौ करोड़ रुपये सालाना की व्यवस्था की गई है ।

26. दो लाख 31 हजार गांव ऐसे थे जहां पीने का अच्छा पानी उपलब्ध नहीं था । इनमें से एक लाख 92 हजार गांवों को मार्च, 1985 के अन्त तक पीने का कम से कम एक साधन अवश्य उपलब्ध कराया गया । 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम में और तेजी लाई गई ।

27. वर्ष 1985-86 में कृषि के क्षेत्र में बराबर प्रगति हुई है । नवम्बर, 1985 में, सरकार के पास अनाज का भण्डार 1984 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक था । इसके फलस्वरूप सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों और दूसरे अभावग्रस्त वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों, गर्भवती माताओं, बच्चों आदि के लिए खास रियायती दामों पर गेहूं और चावल बांटने की योजना चलाई है । खरीफ की फसल के लिए निश्चित क्षेत्रों में एक व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई है । सरकार ऐसी योजनाओं का और अधिक विस्तार करने पर विचार कर रही है ।

28. 1985-86 के पहले सात महीनों में औद्योगिक उत्पादन 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है । सरकार की नीति के कारण पूंजी निवेश का एक उत्साहजनक वातावरण तैयार हुआ है । बुनियादी उद्योगों का कार्य अच्छा रहा है । पिछले साल के पहले नौ महीनों की तुलना में बिजली का उत्पादन 8.2 प्रतिशत, बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 12.9 प्रतिशत और उर्वरक का उत्पादन 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है । हमारे बन्दरगाहों में 13.2 प्रतिशत अधिक माल लादा-उतारा गया है और रेलवे ने माल ढोने का एक नया रिकार्ड कायम किया है ।

29. वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय योजना लागत में विशेषकर निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास और बुनियादी उद्योगों पर 1984-85 के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । राज्य योजनाओं के लागत में काफी वृद्धि की गई थी । सरकार 1985-86 में खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता पर 1650 करोड़ रुपये और उर्वरक आर्थिक सहायता पर 2050 करोड रुपये खर्च करेगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया और उपयुक्त सप्लाई प्रबन्ध से जरूरी चीजों की कमी नहीं होने दी गई । यह बहुत संतोष की बात है कि सार्वजनिक पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई ।

30. कर-वसूली का काम उत्साहजनक रहा है, जिससे निराशाजनक स्थिति का अनुमान गलत साबित हुआ है । प्रत्यक्ष करों की वसूली पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है । अप्रत्यक्ष करों की वसूली में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कुल कर वसूली में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले दस वर्षों में सबसे ज्यादा है । कर की चोरी करने वालों, तस्करों और काला-बाजारियों के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया गया था । जो कर्मचारी आर्थिक अपराधियों से मिलीभगत के दोषी पाए गये उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है । सरकार आर्थिक जीवन को साफ सुथरा बनाने और काले धन की बुराई को खत्म करने का पक्का इरादा रखती है ।

31. पहली बार, पंचवर्षीय योजना की अवधि तक की एक दीर्घकालीन आर्थिक नीति

की घोषणा की गई है। आर्थिक नीति को एक दीर्घकालीन दिशा प्रदान की गई है। सरकार को विश्वास है कि इस नीति से अवश्य ही आर्थिक प्रगति होगी और लाभकारी निवेश तथा रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार होगा।

32. सामाजिक न्याय के साथ विकास के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अर्थ-व्यवस्था के ढांचे संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान देना जरूरी है। सार्वजनिक पूँजी निवेश के स्तरों में लगातार वृद्धि होती रहे, इसी पर भारत का विकास निर्भर करता है। इन निवेशों के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार होगी ? पिछली योजनाओं में बड़े पैमाने पर किये गये पूँजी निवेश से काफी लाभ मिलना चाहिए। उत्पादन लागत में कमी करनी होगी। राष्ट्रीय बचत के हर पैसे का उत्पादन में अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। नहीं तो आत्मनिर्भर विकास की गति को कायम रखने, गरीबी हटाने के कार्यक्रमों का विस्तार करने, और आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर अपेक्षित पूँजी निवेश के लिए वास्तविक साधनों को हासिल करना कठिन होगा। देर-सबेर, बल्कि जल्दी ही हमें स्थिति की असलियत का सामना करना है। किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि विकास, सामाजिक न्याय मूल्यों, में स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बिना कार्यकुशलता, अनुशासन और जिम्मेदारी के हासिल किया जा सकता है। समकालीन इतिहास हमें ऐसे खतरों से सावधान करता है।

33. हमें उत्पादन में काम आने वाले सामान की लागत को कम करना होगा और निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में कमी करनी होगी। नहीं तो देश तथा विदेश के बाजारों में हमारा माल बिक नहीं पाएगा। उत्पादकता के निम्न स्तरों और उत्पादन की ऊँची लागत के आधार पर एक आधुनिक औद्योगिक समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर मौजूदा औद्योगिक प्रतिष्ठान हर साल घाटे में चलें, तो रोजगार के नये अवसर नहीं पैदा किये जा सकते। परिचालन कार्य में कुशलता न होने से उत्पादन-लागत में वृद्धि होती है और इसका असर अवश्य ही कीमतों पर होता है, जिससे जनता पर बोझ पड़ता है। इससे हर तरफ कीमतों में वृद्धि होती है और वास्तविक निवेश में कमी हो जाती है।

34. योजना की प्रक्रिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी क्षमता से कठिन प्रश्नों का सामना करते हैं और सख्त निर्णय लेते हैं। इन निर्णयों में त्याग निहित है, परन्तु इनके बिना आगे बढ़ना सम्भव नहीं होगा। निर्धन लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विकास निहायत जरूरी है। क्या हम ऐसे निर्णयों को टाल सकते हैं, जिनसे विकास की यह प्रक्रिया सुरक्षित और मजबूत हो ? राष्ट्रों का निर्माण ऐसी पीढ़ियों द्वारा किया जाता है जो एक सुन्दर भविष्य के लिए त्याग करती हैं।

35. भुगतान शेष की स्थिति से इसी प्रकार की चुनौती उत्पन्न होती है। 1985-86 में हमारे निर्यात में मंदी रही और हमारा आयात बढ़ा है। पैट्रोलियम पदार्थों और खाद्य तेलों का आयात देश की क्षमता से काफी अधिक हुआ है। मूल प्रश्न यह है कि क्या हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं या नहीं ? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें पैट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती खपत को रोकना होगा और तेलहन के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। हमें अपने पूँजीगत माल के आयात पर भी नए सिरे से गौर करना होगा। हम नई टेक्नॉलोजी को रोकना नहीं

चाहते, क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा। परन्तु यह देखना है कि ऐसी टेक्नॉलोजी जरूरत के कठिन मापदण्ड की पूर्ति करे। बाहर से वित्तीय साधनों की जरूरत है, किन्तु सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि भारत कभी भी विदेशी बैंकों और संस्थाओं की दया पर निर्भर न रहे। हमारे विकास के सिद्धांत का केन्द्र बिन्दु आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता है। हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हर कीमत चुकायेंगे।

36. गुटनिरपेक्षता, शांति और परमाणु निःशस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति के बुनियादी उद्देश्य बने हुए हैं। इनसे दोस्ती और सहयोग के क्षेत्र का विस्तार होगा और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी।

37. सोवियत संघ और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हुई, हम इसका स्वागत करते हैं। यह जरूरी है कि परमाणु शस्त्रों की होड़ को रोकने और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पाबन्दी लगाने की व्यापक संधि के लिए कदम उठाए जाएं। छह राष्ट्रों द्वारा इस सम्बन्ध में पहल की गई है। जनवरी, 1985 में दिल्ली में की गई घोषणा का सारे संसार के जनमत पर अच्छा असर पड़ा है। छह राष्ट्रों के नेता अगले कदमों के बारे में एक दूसरे से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

38. पिछले वर्ष में उप-महाद्वीप के वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हमने अनेक क्षेत्रों में अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को बेहतर बनाने में प्रगति की है। परन्तु हम श्रीलंका में जातीय समस्या से उत्पन्न स्थिति और पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने की लगातार कोशिशों से चिंतित हैं। हम यह मानते हैं कि श्रीलंका की स्थिति केवल राजनीतिक आधार पर ही हल की जा सकती है, सैनिक हल ढूँढने की कोशिशें असफल रहेंगी और इसका परिणाम यह होगा कि बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।

39. ढाका में दिसम्बर 1985 में हुई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संस्था (सार्क) की स्थापना का सरकार स्वागत करती है। हम आशा करते हैं कि इससे हमारे क्षेत्र में दोस्ती और सहयोग की शक्तियों को बल मिलेगा।

40. सरकार ने तनाव के मुख्य क्षेत्रों को कम करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अक्तूबर में बहामा में हुई राष्ट्रमण्डल देशों की बैठक में, जिसमें हमारे प्रधान मंत्री ने भाग लिया था, हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में राष्ट्रमण्डल समझौते के स्वीकार किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद की नीति पर चलने वाली सरकार के विरुद्ध पूर्ण अधिदेशात्मक प्रतिबंधों की लगातार मांग कर रहे हैं। यदि वहाँ की सरकार, तथा वे सरकारें जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार को समझाने की स्थिति में हैं, समय रहते कार्य नहीं करेंगी तो वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा को टाला नहीं जा सकेगा।

41. प्रधान मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ में भी भाग लिया। राष्ट्र-मण्डल देशों के नेताओं द्वारा विश्व व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वीकार की गई नसाऊ घोषणा में अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों और सिद्धान्तों के प्रति दृढ़ता और संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने का जोरदार समर्थन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का समर्थन करना हमारी विदेश

नीति का एक मुख्य अंग है। हम बहुपक्षीय संस्थाओं के लिए बढ़ते हुए खतरे तथा एक पक्षीय कार्यवाही का सहारा लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से चिन्तित हैं। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोशिशों का समर्थन करती है और साथ ही उपनिवेशिक शासन के अधीन लोगों को अपने न्यायपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करने के अधिकारों को मान्यता देती है।

42. सरकार को इस बात पर खेद है कि फिलिस्तीनी लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है जिनमें उनका अपना एक स्वतन्त्र राष्ट्र का अधिकार भी शामिल है। जब तक इस बुनियादी समस्या को हल नहीं किया जाता पश्चिम एशिया में स्थायी शान्ति स्थापित नहीं होगी।

43. प्रधान मन्त्री ने सोवियत संघ, मिश्र, फ्रांस, अल्जीरिया, अमेरिका, भूटान, ब्रिटेन, क्यूबा, नीदरलैण्ड्स, वियतनाम, जापान, ओमान तथा मालदीव की सरकारी यात्रा की। प्रधान मन्त्री की सोवियत नेताओं से मास्को में बातचीत से सोवियत संघ के साथ हमारे परम्परागत गहरे मैत्री सम्बन्ध और मजबूत हुए हैं। अमेरीका की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में महत्व-पूर्ण सुधार हुआ है। प्रधान मन्त्री ने भीषण समुद्री तूफान के समय बंगला देश के लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए ढाका की यात्रा की तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना के लिए बुलाई गई राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लिया। प्रधान मन्त्री ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान युनेस्को में भाषण दिया। उन्होंने जिनेवा में आई०एल०ओ० के वार्षिक सम्मेलन में भी भाषण दिया। नेपाल नरेश, भूटान नरेश, नीदरलैण्ड की महारानी, मैक्सिको, मालदीव, स्वापो, श्रीलंका, तंजानिया, इन्डोनेशिया तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष, इथोपिया के राज्याध्यक्ष तथा पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, मोरीशस, ब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड, यमन लोकतांत्रिक गणराज्य एवं त्रिनिडाड व टोबेगो के प्रधान मंत्री हमारे देश की राजकीय यात्रा पर आए। नार्वे के युवराज तथा राजकुमारी और पोप ने भी भारत की यात्रा की।

44. अब मैं वर्ष 1986-87 तथा उसके बाद के लिए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा।

45. समय की मांग है कि गरीबों के रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा उठाया जाए। इस बुनियादी उद्देश्य की प्राप्ति में विज्ञान तथा टेक्नॉलोजी की सहायता लेनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में टेक्नॉलोजी मिशन स्थापित करेगी :—

(i) सभी गांवों में पीने का पानी;

(ii) निरक्षरता दूर करना;

(iii) बच्चों को टीके लगाना तथा उनका प्रतिरक्षण;

(iv) तिलहनों तथा खाद्य तेलों का उत्पादन;

(v) विकसित संचार सुविधायें।

46. इस वर्ष के दौरान उद्योग और कृषि की उत्पादकता में सुधार के लिए टेक्नॉलोजी का प्रयोग करने के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित किया जायेगा। चुने हुए क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नॉलोजी मिशन भारत की वैज्ञानिक कार्य-कलापों को पहली पंक्ति में लाने की कोशिश करेंगे।

47. एक व्यापक कृषि नीति बनाई जाएगी जिससे कि साधानों का समुचित उपयोग हो सके, जल और मिट्टी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि की जाए, और तेलहन तथा दालों की पैदावार को बढ़ाकर अनाज के मामले में कड़ी मेहनत से हासिल की गई आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। पूर्वी क्षेत्र में हरी क्रांति लाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी।

48. यह संतोष की बात है जल को एक राष्ट्रीय संसाधन समझने पर राष्ट्रीय सहमति तैयार हुई है। सरकार राष्ट्रीय जल नीति के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जिससे कृषि, उद्योग और दूसरी सामाजिक जरूरतों के लिए जल का अधिकतम उपयोग होगा।

49. सरकार ने हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रमों का गहन विश्लेषण किया है। पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए परिवार नियोजन के लिए एक अधिक कारगर नीति तैयार की जा रही है जिसकी जल्दी ही घोषणा की जाएगी।

50. गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों पर आधारित एक नया कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और उसकी घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर गरीबी के सभी पहलुओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य प्रयास के रूप में सभी तत्वों, नीतियों और कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने पर जिसमें आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ाए जाने पर खास जोर दिया गया है, पूरी नजर रखी जाएगी।

51. जनसामान्य को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में गति लाने और भारतीय उद्योग की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उद्योग नीति को एक व्यापक स्वरूप देने की आवश्यकता है। हमारी उद्योग नीति में पहले ही काफी परिवर्तन किए गए हैं, जो कि अब आधुनिकीकरण के नए आयाम, नयी तकनीकों के समावेश तथा देशी तकनीकों के विकास के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊंची लागत और अकुशल उद्योगों से गरीबों को तकलीफ होती है क्योंकि ये उन साधनों को अपने में समा लेते हैं जो गरीबों को नए रोजगार दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। वस्तुओं के उत्पादन और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए सेवाओं में हर सम्भव वृद्धि करना गरीबी हटाने की हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए उत्पादन का पैमाना, क्षमता उपयोग, स्वदेशी टेक्नॉलोजी की भूमिका, श्रम उत्पादकता, विस्तृत नियंत्रक कार्य प्रणाली, भविष्य में लघु और मध्यम उद्योगों

के महत्व और मौजूदा प्रशासनिक तथा प्रबन्ध-तंत्र का संचालन करने वाली नीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। उद्योगों को चहिए कि वे विशाल जन समुदाय की सेवा करें।

52. भुगतान शेषों की एक व्यावहारिक स्थिति बनाए रखने की चुनौती का सामना करने के लिए निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा देने की भारी जरूरत है। इन क्षेत्रों की उन्नति में किसी तरह की असावधानी हमारी सम्पूर्ण विकास नीति को ही संकट में डाल देगी। सरकार इस अहम क्षेत्र में नई पहल करेगी।

53. हमारे प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। सरकार में प्रबन्ध को नई सामाजिक विचार धारा के अनुरूप ढालना है। यह ऊपर से कुछ लादने का प्रश्न नहीं है। सुधार की भावना अन्दर से आनी चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्रीय समुदाय को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से ताल्लुक रखने वाले मुद्दों पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए। इसी प्रकार एक ठोस कार्यक्रम सामने आएगा। हमारे प्रशासन में कार्यकुशलता और जिम्मेदारी की भावना आनी चाहिए।

54. हमें अपनी बुनियादी राजनैतिक संस्थाओं को स्वस्थ और प्राणवान रखने के लिए अपने चुनाव सम्बन्धी तथा अन्य कानूनों को बदलने की जरूरत होगी। सरकार ठोस सुझावों के लिए राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से विस्तार के साथ सलाह-मशविरा करेगी जिससे कि सार्वजनिक जीवन को और साफ-सुथरा बनाया जा सके।

55. एक शक्तिशाली भारत की कल्पना तभी साकार होगी जबकि पुरुषों और महिलाओं के वास्तविक जीवन में चरित्र-बल, उद्देश्य के प्रति दृढ़ता और श्रेष्ठता के प्रति वचनबद्धता होगी। मानव संसाधनों के विकास के लिए सरकार की नीति का लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय जीवन में इन गुणों का विकास करना है। नई शिक्षा नीति इस नीति का एक अभिन्न अंग होगी। इसका उद्देश्य सद्भावनापूर्ण वातावरण में समाज का शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना होगा।

56. केवल लक्ष्यों की बात करना काफी नहीं होगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने में आवश्यक साधन मिलते रहें, इसके लिए राष्ट्रीय गतिशीलता आवश्यक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों को एक नई दिशा देने में युवकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, बुद्धिजीवियों, कामगारों तथा किसानों का योगदान होना चाहिए। अपने सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा को कक्षाओं की सीमा से बाहर निकाल कर उसे एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप देना होगा। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और उसे समृद्ध बनाने के अपने दृढ़ निश्चय और उत्पादन, दोनों ही के साथ शिक्षा को और मजबूती के साथ जोड़ना होगा ताकि हम अपने भारतीय होने पर गर्व कर सकें।

57. आने वाले वर्ष चुनौतियों के वर्ष हैं। सरकार ने विकास में तेजी लाने, अर्थ-व्यवस्था को आधुनिक बनाने और सामजिक न्याय हासिल करने के अपने कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह जरूरी है कि इन्हें लागू करने के काम की अहमियत को समझाया जाए।

58. पिछले वर्ष हमारी बहुत-सी उपलब्धियां रहीं। हमारी जनता को हमसे बड़ी आशायें तथा आकांक्षायें हैं। उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना आपका प्रमुख कर्त्तव्य है। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज की धर्मनिरपेक्ष और लोकतन्त्र की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों और सभी राजनैतिक विचार-धाराओं के संगठनों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हिंसा और कट्टरता की ताकतों के साथ लड़ना होगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने अपनी आर्थिक क्षमताओं को इतना मजबूत बना लिया है कि अब हम दृढ़ और सम्मिलित कोशिशों के जरिए आगे बढ़ सकते हैं और निर्धनता को दूर कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम और अधिक राजनैतिक समरसता पैदा करें, जिससे कि निर्धनता और पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सके। आपके सामने जो कार्य करने को हैं, उनमें आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं। जय हिन्द।

1.16 म०प०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, चूंकि आज हम दो महीने के अन्तराल के बाद मिल रहे हैं, अत: मुझे सभा को अपने पांच भूतपूर्व साथियों, अर्थात्, सर्वश्री डूंगर सिंह, फूलसिंह जी भरतसिंह दाभी, कंवर लाल गुप्त, एम०एस०के० सत्येन्द्रन और प्रबोध चन्द्र के दु:खद निधन की सूचना देते हुए दु:ख हो रहा है।

श्री डूंगर सिंह 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। इससे पूर्व वह उत्तर प्रदेश विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य थे।

वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महासचिव रहे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम किया। श्री डूंगर सिंह एक डिग्री कालेज के प्रिंसिपल होने के अलावा अनेक शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री डूंगर सिंह का निधन 2 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री फूलसिंह जी भरतसिंह जी दाभी 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे। वह भूतपूर्व बम्बई राज्य के उत्तर कैरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनकर आये थे। इससे पूर्व वह 1937-52 के दौरान बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे थे।

वह एक वयोवृद्ध स्वाधीनता-सैनानी थे। उन्होंने युवावस्था से ही स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वह व्यवसाय से शिक्षाविद् और वकील थे और कई शैक्षिक संस्थाओं में कई पदों पर रहे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं।

वह एक योग्य संसदविद् और एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। श्री दाभी ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया।

श्री फूलसिंह जी, भरतसिंह जी दाभी का निधन नाडियाड, गुजरात, में 11 जनवरी, 1986 को 90 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री कंवर लाल गुप्त 1967-70 और 1977-79 के दौरान दिल्ली सदर चुनाव क्षेत्र से चौथी और छठी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 1953-57 और 1958-62 के दौरान क्रमशः दिल्ली राज्य विधान सभा और दिल्ली नगर निगम के सदस्य रहे।

श्री गुप्त व्यवसाय से एक वकील थे और योग्य संसदविद् थे। वह कई संसदीय समितियों से सम्बद्ध रहे और उन्होंने कई देशों की यात्रा की थी। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और दिल्ली की नागरिक परिषद् के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह कई शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे और उन्होंने गरीबों में शिक्षा के प्रसार में गहरी रुचि ली।

श्री कंवर लाल गुप्त का निधन 62 वर्ष की आयु में दिल्ली में 19 जनवरी, 1986 को हुआ।

श्री एम० एस० के० सत्येन्द्रन तमिलनाडु के रामानाथपुरम चुनाव क्षेत्र से 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 1971-76 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य थे।

वह व्यवसाय से एक व्यापारी और कृषक थे और रामनाड नगरपालिका के चेयरमैन भी थे। वह एक योग्य संसदविद् थे और राज्य की लोक उपक्रम समिति और राज्य मछली-उद्योग सलाहकार समिति से भी सम्बद्ध रहे।

श्री सत्येन्द्रन का निधन 46 वर्ष की आयु में 30 जनवरी, 1986 को रामानाथपुरम में हुआ।

श्री प्रबोध चन्द्र 1970 और 1971-77 के दौरान पंजाब के गुरदासपुर चुनाव क्षेत्र से क्रमशः चौथी और पाँचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 1946-69 के दौरान पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वाधीनता सैनानी थे और अपनी युवावस्था से ही स्वाधीनता आंदोलन से सम्बद्ध रहे और कई बार जेल गये। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता और व्यवसाय से किसान थे। उन्होंने ग्रामीण उत्थान में गहरी रुचि ली।

वह एक योग्य संसदविद् थे और पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने संसदीय सचिव, मुख्य संसदीय सचिव और पंजाब मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के पदों को सुशोभित किया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं।

श्री प्रबोध चन्द्र का निधन 74 वर्ष की आयु में 8 फरवरी, 1986 को नई-दिल्ली में हुआ ।

हमें इन मित्रों की मृत्यु पर गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ सभा शोक-संतप्त परिवारों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रेषित करेगी ।

अपना शोक अभिव्यक्त करने के लिए माननीय सदस्य खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन धारण करेंगे ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

1.19 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

"रावी-व्यास जल अधिकरण" के गठन की अधिसूचना और उक्त अधिकरण के निर्देश की एक प्रति

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) अधिसूचना संख्या का०आ० 28(अ), जो 25 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "रावी-व्यास जल अधिकरण" गठित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उक्त अधिकरण के प्रति निर्देश संख्या 15(2)/85-आई०टी० दिनांक 25 जनवरी, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 1948/86]

प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्यांक 1), रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्याक 2), ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) संशोधन अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्यांक 3), मोटरयान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्यांक 4), आदि ।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 22 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1949/86]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्यांक 2)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1950/86]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 28 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्यांक 3)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1951/86]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 28 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित मोटरयान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1952/86]

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 50 (अ), जो 3 फरवरी, 1983 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 13 नवम्बर, 1982 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 689 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा० का० नि० 631 (अ), जो 17 अगस्त, 1983 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 13 नवम्बर, 1982 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 689 (अ) में शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 1985, जो 30 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 696 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1953/86]

(2) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 1954/86]

न्हावा-शेवा पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष, 1984-85, न्यू मंगलौर ट्रस्ट के वर्ष 1984-85, पारादीपपोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और न्हावा-शेवा पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखे और वार्षिक लेखे सम्बन्धी समीक्षा।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) न्हावा-शेवा पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्हावा-शेवा पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 1955/86]

(2) (एक) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 1956/86]

(3) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 1957/86]

(4) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 1958/86]

(5) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत न्हावा-शेवा पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्हावा-शेवा पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं तथा लेखा परीक्षित प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 1959/86]

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपरोक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 1960/86]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

1-21 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 21 फरवरी, 1986/2 फाल्गुन, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज दिल्ली-92